भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1149

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

सभी को निःशुल्क शिक्षा

†1149. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा तक सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या रूपरेखा तैयार की गई है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है। तथा इसमें समुचित सरकार को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करवाने हेतु अधिदेशित किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) में धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा I (या उससे नीचे की कक्षा) में उस कक्षा की कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता तक प्रवेश देने का प्रावधान है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 12 (1) (ग) के तहत आवंटित कुल बजट निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत निधियां (लाख रुपये में)
1.	2021-22	164011.86
2.	2022-23	158692.83
3.	2023-24	213981.44

स्त्रोत : प्रबंध

समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र में प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित वर्ष 2018 में शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका बृहद् लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल करके स्कूल

शिक्षा के समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार करना है। पिछले 3 वर्षों में आवंटित समग्र शिक्षा का केंद्रीय भाग निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित केंद्रीय भाग (करोड़ रुपये में)
1.	2021-22	34,671
2.	2022-23	44,494
3.	2023-24	45,654

स्रोत : प्रबंध

नई एकीकृत योजना में स्कूल शिक्षा को प्री-स्कूल से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है तथा इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के अधिगम परिणामों में वृद्धि करना, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को कम करना, स्कूल शिक्षा प्रावधान में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करना है। यह योजना शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों के संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार पाठ्यपुस्तकों और स्कूल वर्दी का प्रावधान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए), शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, आईसीटी और डिजिटल पहल, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, स्कूल मूल्यांकन, पढ़े भारत बढ़े भारत (पीबीबीबी), शिक्षकों के लिए प्रदर्शन संकेतक (पीआईएनडीआईसीएस), कला उत्सव, छात्रों के लिए भ्रमण यात्राएं, स्कूलों की ट्विनिंग और छात्र और शिक्षक विनिमय कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न पहलों हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सहित इन 14500 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और समय के साथ उदहारणपरक स्कूलों के रूप में उभरना, और साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। पीएम श्री योजना में प्रमुख पहलों में गुणवत्ता और नवाचार (अधिगम संवर्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, अभिनव शिक्षण शास्त्र, बैगलेस दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण आदि) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख अधिकार शामिल हैं।

*****